

विचार बिन्दु

घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। –महात्मा गाँधी

बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते, आते....

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों आयुक्तों की बैठक दिनोंक 26 सितंबर 2026 को हुई। इसके बाद आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञिप्त के माध्यम से, विशेषकर ज्ञानेश कुमार पर विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा लगाए गए स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार की विज्ञिप्त जारी की गई हैं, वह चुनाव आयोग द्वारा अपने दोषों का कबूलनामा ही है।

इस विज्ञिप्त के दो भाग हैं, एक, आयोग द्वारा पूर्व के निर्णयों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने मतदाताओं को राहत दी गई है तथा है और दूसरे भाग में इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे से संबंधित अपनी सफाई देने का प्रयास किया गया है। ध्यान से देखा जाए, तो यह सफाई नहीं कही जाएगी। इस बारे में वास्तव में यदि स्थिति को स्पष्ट करना ही था तो दोनों चुनाव आयुक्त, संघ और जोशी को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किए जाने पर आयोग में ज्ञानेश कुमार द्वारा एकतरफा, मनमाने निर्णय लेने की प्रक्रिया की ही पुष्टि होती है।

यदि इस विज्ञिप्त के आधार पर ज्ञानेश कुमार यह उम्मीद करते हैं कि उनके विरुद्ध जनता का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी ही होगी। इस विज्ञिप्त के माध्यम से ज्ञानेश कुमार ने एक प्रकार से अपना दोष ही स्वीकार किया है। यह वैसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध करे और बाद में उसे स्वीकार कर ले तो वह निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता।

अब तो स्पष्ट हो चुका है कि गलत निर्णयों और निर्देशों से किस प्रकार देश के करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी। लाखों-करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में कट गए।

इस लेख में हम नागरिकों को हुई परेशानी का विश्लेषण, चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञिप्त के संदर्भ में करने का प्रयास करेंगे।

विज्ञिप्त में लिखा गया है कि अब से चुनाव आयोग की प्रत्येक मीटिंग का एजेंडा जारी किया जाएगा और उसके निमित्दस भी जारी होंगे। यह बात हास्यस्पद लगती है, क्योंकि एजेंडा बनाना और निमित्दस जारी करना तो किसी भी समिति के लिए सामान्य बात है। अब तक इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के द्वारा एजेंडा नहीं बनाया जाना और निमित्दस जारी नहीं करना, क्या पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं है?

आयोग द्वारा कोई भी निर्णय, सामूहिक रूप से तीनों आयुक्तों की सहमति या बहुमत से लिया जाना अनिवार्य है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय, दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए थे। इनमें से कुछ पर तो इन्होंने लिखित आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद, आपत्तियों पर ध्यान देने के बजाए ज्ञानेश कुमार ने अपने स्तर पर ही आदेश जारी कर दिए। क्या इन आदेशों को आयोग का आदेश माना जा सकता है? क्या इस प्रकार लिए गए निर्णय और उसके आधार पर की गई सारी प्रक्रिया स्वतः अवैधानिक नहीं हो जाती है?

आयोग ने 26 सितंबर की बैठक में यह निर्णय लिया है कि आयोग द्वारा बनाए गए पोर्टल eci.net का इस दृष्टि से मूल्यांकन करया जाएगा कि क्या इसतकें लागू होने से चुनाव संबंधी विभिन्न कानूनों की पालना सही तरह हुई है अथवा नहीं? यह काम आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें IIT या IIT का एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा। भविष्य में किसी भी नए सॉफ्टवेयर को तब ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ,जब उक्त समिति भली भाँति प्रथम दृष्टया उसका आँकलन कर ले। यह उल्लेखनीय है कि eci.net को लागू करने से पूर्व दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई थी, बल्कि उन्होंने तो इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। इस नए सॉफ्टवेयर का ही परिणाम हुआ कि इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ई आर ओ) जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े या हटाए, उन्हें इस सॉफ्टवेयर के अंगत एसा करने का विकल्प ही नहीं दिया गया था। गोवा में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में जब ई आर ओ ने 97 नाम जोड़ने की कोशिश की तो वह नहीं जोड़ पाए। निर्वाचन आयोग को सात दिन में आठ बार लिखने पर भी कोई हल नहीं निकला। ये 97 व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित रह गए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। इसका जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की आईटी सेल की मुखिया सीमा खन्ना को क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

आयोग की उक्त बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि फॉर्म 6 के साथ अतिरिक्त घोषणापत्र को आवश्यकता, एस आई आर के बाद नहीं रहेगी। नव वोटरर्स के लिए तो यह ठीक है, लेकिन पुराने मतदाता जिनका नाम कट गया है, उन्हें भी फॉर्म 6 फॉर्म भरना पड़ेगा और वह झूठा शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने कभी वोट नहीं दिया है। फॉर्म 6 में जो बदलाव किए थे, उन्हें वापस ले लिया गया है और अब 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता या दादा-दादी का नाम होने के बारे में जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यही वह प्रमुख बदलाव था, जिसके कारण करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी हुई।

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है?

जाती तो लाखों लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहते। क्या लाखों लोगों को परेशान करने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने के लिए किसी की जिम्मेदारी तब नहीं की जानी चाहिए? ने केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, बल्कि दोनों चुनाव आयुक्तों को भी भागीदार माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया और एक प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त के गलत काम में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बनते रहे। इसका सही उत्तर तो तभी मिल सकता है जब दोनों चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें।

सत्ता समर्थक कई लोग अब भी एस आई आर के कारण नाम काटने को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वे इसकी पुष्टि में सुप्रीम कोर्ट के 27 मई, 2026 के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं जिसमें एस आई आर की प्रक्रिया को सही मानते हुए उसे जारी रखने की अनुमति दी थी। उनका यह भी कहना है कि यदि एस आई आर को जानबूझकर सत्ताधारी दल के हित में किया गया था, तो फिर इसके आधार पर हुए केरल के चुनाव में कांग्रेस को विजय कैसे प्राप्त हो गई? यह एक कुतर्क है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि विजय किस दल को प्राप्त हुई, या बल्कि यह है कि क्या मतदाता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त व्यवस्थाएँ की थीं? इसका उत्तर स्पष्टथा ‘नहीं’ है।ऐसे परिपत्र जारी कर दिए जिनके कारण मतदाताओं के साथ ही बीएलओ को भी बहुत मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा और कई भी एल ओ ने तो आत्महत्या तक कर ली। क्या चुनाव आयोग इन का जीवन वापस लौटा पाएगा? जो लाखों करोड़ों लोग मतदान से वंचित रह गए और जहाँ चुनाव हो गए, उन लोगों का अधिकार अब कैसे लौटा पाएगा?

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है? यदि चुनाव अवैधानिक हुए तो क्या ऐसा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए ?

चुनाव आयोग की तरफदारी करते हुए कई लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव दिया जा सकता है। पहले भी ऐसा प्रस्ताव दिया गया था जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किया था तो अब इसे मंजूर कर लिया जाएगा, इसकी संभावना नागण्य है। वैसे भी, महाभियोग का निर्णय संख्या बल के आधार पर होता है और लोकसभा और राज्यसभा में सत्ताधारी दल का पूर्ण बहुमत है, अतः वहां पर महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकृत होने की संभावना नहीं के बराबर है।

अब, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी गलतियों से अपने दोष की स्वीकारोक्ति कर ली है, माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेते हुए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त को काम करने से रोकना चाहिए। साथ ही, एस आई आर के आधार पर बनाई हुई सभी मतदाता सूचियों पर स्थान देते हुए जून 2025 की मतदाता सूचियों के आधार पर, राज्यों में चुनाव कराने का आदेश जारी करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौका है कि वह लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त होने से बचाने के लिए संविधान में द्रष्ट शक्तियों का उपयोग करे।

राजनीतिक दलों और कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान छेड़ ही रखा है। आशा है, जनता का दबाव, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा ताकि नए योग्य, निष्पक्ष और स्वतंत्र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर सके। दुध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। अतः संभवतया नया मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी सावधानीपूर्वक निष्पक्षता से काम करेगा।

चुनाव आयोग में जिस प्रकार अब विभिन्न प्रकार के मतदाताओं को राहत देने वाले सुधाराम्थक संशोधन किए हैं, यदि इसे अनुसार वह प्रारंभ से कार्रवाई करता, तो संभव है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और जनता का विश्वास चुनाव आयोग में कम नहीं होता। अब जो कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, वह बहुत थोड़ी और अत्यंत विलंब से है, जिसका कोई लाभ उसे नहीं मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यदि यह सोचते हैं कि उनकी छवि इन कदमों से ठीक हो जाएगी और जनता का आक्रोश उनके प्रति कम हो जाएगा तो वे गलत ही सिद्ध होंगे।

फिलहाल तो, हम यही कहने पर विवश हैं कि “बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते आते”।

–अतिथि सम्पादक,

राजेंद्र भागावत

(पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी)

परीक्षा में शुचिता बनाम कानूनी जटिलता: एससी/एसटी अधिनियम के दुरुपयोग और समीक्षा की आवश्यकता



प्रो. (डॉ.) पी. सी. कंटालिया

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है और परीक्षाएँ उस नींव की मजबूती को मापने का पैमाना हैं। परीक्षा हॉल में एक शिक्षक या निरीक्षक (इन्विजिलेटर) का प्राथमिक दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण हो। जब कोई शिक्षक अपनी इस आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो उसे व्यवस्था और कानून का पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए।

परंतु, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे (में छात्रसाहिल वाकोडेकी आत्महत्या और उसके बाद परीक्षा निरीक्षकप्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर ने देश में एक अत्यंत संवेदनशील बहस को जन्म दे दिया है।यह घटना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्रवाई को जातिगत रंग देकर कड़े सामाजिक कानूनों के दायरे में खींच लिया जाता है।ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है: क्या परीक्षा में अनुचित साधनों और नकल को रोकना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा? यह स्थिति अनिवार्य रूप से इस बात की मांग करती है कि समाज, न्यायपालिका और विधायिका इस कानून के बढ़ते दुरुपयोग और इसकी समीक्षा की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करें।

1. **कर्तव्य का पालन बनाम कानूनी उत्पीड़न की विडंबना-**आईआईटी बॉम्बे की घटना के तथ्य स्पष्ट करते हैं कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला केवल मिड-सेमेस्टर परीक्षा में निरीक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्होंनेछात्र को परीक्षा के स्थापित नियमों के विरुद्ध स्मार्टफोन से नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और

नियमानुसार इसकी रिपोर्ट संस्थान को दी सीसीटीवी फुटेज और प्राथमिक पुलिस जांच के अनुसार छात्र बिना किसी तीखी बहस के शांत तरीके से अपना सामान समेटकर बाहर निकला और अपनी आखिरी फोन कॉल में भी उसने केवल अपनी गलती व शैक्षणिक तनाव का जिक्र किया, किसी जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न का नहीं।

इसके बावजूद प्रोफेसर डूला के विरुद्ध गंभीर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उन्हें प्रशासनिक दायित्व से हटाकर अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने की कार्रवाई हुई। यह उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर डूला को कई शैक्षणिक उत्कृष्टता और शिक्षण उत्कृष्टता के परस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्टर पर कार्य किया है एवं विशिष्ट अनुसन्धान परियोजना पर भी कार्य कर रहे हैं।

इसके बाद साहिल के माता-पिता ने आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर डॉ. शिरोषे केदार और प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन शुरू कर किया। यह स्थिति निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर और विडंबनापूर्ण है। एक ओर एक छात्र की दुखद मृत्यु ने उसके परिवार को गहरे आघात में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर उन संस्थान अधिकारियों और शिक्षक के विरुद्ध गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।

इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि यदि परीक्षा में नियमों का पालन करवाने वाला शिक्षक बाद में गिरफ्तारी और सार्वजनिक दबाव के भय में रहने लगे, तो भविष्य में जूनियर-सीनियर के बीच होने वाली सामान्य प्रशासनिक कार्रवाइयों में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को रह करते हुए दिष्पणी की है कि इस विशेष कानून का इस्तेमाल निजी प्रतिशोधके लिए एक औजार की तरह किया जा रहा है।

इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि यदि परीक्षा में नियमों का पालन करवाने वाला शिक्षक बाद में गिरफ्तारी और सार्वजनिक दबाव के भय में रहने लगे, तो भविष्य में जूनियर-सीनियर के बीच होने वाली सामान्य प्रशासनिक कार्रवाइयों में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को रह करते हुए दिष्पणी की है कि इस विशेष कानून का इस्तेमाल निजी प्रतिशोधके लिए एक औजार की तरह किया जा रहा है।

3. **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और जमीनी हकीकत-** अधिनियम के दुरुपयोग की बात केवल मौखिक नहीं है, बल्कि देश की आधिकारिक सांख्यिकी भी इसकी गवाही देती है।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि एस.सी./एस.टी. एक्टर के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में एक बहुत बड़ा हिस्सा पुलिस जांच के बाद झूठा या गलतफहमी के रूप में बंद कर दिया जाता है।

5. संतुलन का मार्ग: सुधार के

रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली ‘पाटली नदी’ जीर्णोद्धार के बाद फिर जी उठी

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया

कोटा, (निर्स)। रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया, जिसके तहत हुए जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य की बदौलत इस नदी को मानो नया जीवन मिला है। नव निर्मित घाटों के बीच स्वच्छ बहती यह नदी आसपास के इलाके के लिए संजीवनी बनकर खुशी की लहर लाई है।

भारतीय सांस्कृतिक-भौगोलिक बसावट की तरह ही इस नदी के किनारे भी गांव, मंदिर, रमशान घाट, विसर्जन घाट आदि मौजूद है। अल्थधिक अतिक्रमण तथा बहाव क्षेत्र में खानों का मलबा भरा हुआ था, जिससे इस नदी का बहाव क्षेत्र पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस नदी से एक बड़ी मात्रा में भी अनियंत्रित रूप से बहकर व्यर्थ चला जाता था, जिसका कोई उपयोग क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा था।

अधीक्षण अधिनयंता जल संसाधन विभाग महेन्द्र कुमार ने बताया कि इस दुर्दशा को सुधारने के लिए नदी का सर्वेक्षण किया गया। इसके उपरांत इस नदी के पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए,



रामगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित पाटली नदी पुन: बहने लगी है।

जिसका कार्य पूर्ण हो गया है और नदी अपने पुरातन स्वरूप में बहने लगी है।

ऐसे बदली सूरत -मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया गया। ऐतिहासिक जगह को देखते हुए जुल्मी हिरामन मंदिर के पास घाट का निर्माण कराया गया तथा मंदिर

4. **कानून की समीक्षा और संशोधन क्यों अनिवार्य है?** (तार्किक आधार)-किसी भी गतिशील और न्यायप्रिय समाज में कोई भी कानून पत्थर की लकड़ी नहीं हो सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार कानूनों का मूल्यांकन और उनमें सुधार किया जाना आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से तात्कालिक समीक्षा की मांग करती है: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन: इस कानून में आरोपी को अग्रिम जमानत न मिलना और शिकायत दर्ज होते ही बिना किसी प्राथमिक जांच के सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है जो कि निर्दोषता के अनुमान (डैल्ट्सूद्दह ईं व्हहदमहम) के सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांत को कमजोर करता है, जहां सारा बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वह खुद को बेगुनाह साबित करे।

प्रशासनिक पंगुता (Administrative Paralysis): सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, पुलिस और आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों में अधिकारियों और शिक्षकों के मन में यह निरंतर भय बना रहता है कि यदि वे किसी नियम तोड़ने वाले कर्मचारी या छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, तो उन पर तुरंत काउंटर-क्लास्ट्र के रूप में इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। यह भय देश के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर रहा है। मुआवजा नीति का दुरुपयोग: वर्तमान नियमों के तहत एफआईआर दर्ज होते ही शिकायतकर्ता को एक निश्चित वित्तीय मुआवजा (आंशिक या पूर्ण) जारी कर दिया जाता है। कई आलोचकों और समाजशास्त्रियों का मानना ​​​​है कि इस त्वरित वित्तीय लाभ के प्रावधान के कारण भी कई बार निहित स्वार्थों द्वारा झूठी प्राथमिकियां दर्ज करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। वास्तविक पीड़ितों के साथ अन्याय:जब इस विशेष कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, तो समाज और व्यवस्था में इस कानून के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन वास्तविक और गंभीर पीड़ितों को उठाना पड़ता है जो ग्रामीण या खुदर क्षेत्रों में आज भी भयंकर जातिगत अत्याचारों का सामना करते हैं। झूठे मामलों की बाढ़ के कारण असली पीड़ितों की आवाज दब जाती है।

5. संतुलन का मार्ग: सुधार के

व्यावहारिक सुझाव कानून की समीक्षा का अर्थ इसे समाप्त करना कतई नहीं है, बल्कि इसके दुरुपयोग के छिद्रों को बंद करना है। निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से एक संतुलित ढांचा तैयार किया जा सकता है:-

अनिवार्य प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry): किसी भी लोक सेवक, शिक्षक या नागरिक के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने से पहले पुलिस उप-अधीक्षकस्तर के अधिकारी द्वारा कम से कम 7 दिनों के भीतर एक त्वरित प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला कर्तव्य पालन या निजी विवाद का है अथवा वास्तव में जातिगत उत्पीड़न का।

न्यायिक छानबीन के बाद ही गिरफ्तारी: असाधारण मामलों को छोड़कर, जब तक पहली नजर में (PrimaFacie) अपराध सिद्ध न हो या आरोपी के भागने का खतरा न हो, तब तक सीधे गिरफ्तारी पर रोक होनी चाहिए। झूठी शिकायतकर्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई: यदि अदालत में यह प्रमाणित हो जाता है कि शिकायत पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण, झूठी और प्रतिशोध की भावना से की गई थी, तो झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक और वित्तीय कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कानून का मजाक बनाने वालों में डर पैदा हो।

निष्कर्ष-आईआईटी बॉम्बे की घटना देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारे कानूनी ढांचे के लिए एक गंभीर चेतावनी है। परीक्षा में नकल रोकना या अनुशासन का पालन करवाना किसी भी दृष्टिकोण से अपराध नहीं हो सकता यदि हम अपने शिक्षकों को उनके कर्तव्य पालन के बदले जेल की सलाखें और सामाजिक प्रतिष्ठान देंगे, तो हम एक नैतिक रूप से दिवालिया समाज का निर्माण कर रहे होंगे।

संसद और सर्वोच्च न्यायालय को इस कानून के मूल उद्देश्यों की रक्षा करते हुए, इसके कड़े और एकतरफा प्रावधानों की गहन समीक्षा करनी चाहिए। न्याय का ताराजू ऐसा होना चाहिए जो शोषितों को पूर्ण सुरक्षा दे, लेकिन किसी भी बेगुनाह को व्यवस्था की वेदी पर बलि चढ़ने से भी रोके।

–प्रो. (डॉ.) पी. सी.

कंटालिया, पूर्व विभागाध्यक्ष (पृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक।

पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी

■ **मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया**

की मरम्मत का कार्य भी करवाया गया है, जिसमें पानी संग्रहीत किया जा चुका है। इसी वर्ष जल ग्रहण विभाग द्वारा भी सेमलहड़ी के पास एक नए एनीकट का निर्माण किया गया है। इस नदी की पानी की आवक को देखते हुए नदी पर बांध बना कर इसके पानी से आसपास के क्षेत्र की भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2024-25 में डी.पी.आर का कार्य भी किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के उपरांत इस नदी के पानी से आसपास के क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।



पंडित अनिल शर्मा

मेघ, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वाथ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग स